

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1 / गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का. / क-1 / गो.प्र. / 2011

जयपुर, दिनांक

27 JUN 2016

समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव /
शासन सचिव / उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 2015 (01.01.2016)
की स्थिति में अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र प. 13(76)कार्मिक / क-1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 13.01.2016, 03.02.2016 एवं 18.05.16 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनके द्वारा निर्दिष्ट किया गया था कि समस्त राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पति विवरण सीधे ही अपने नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। जो राजपत्रित अधिकारी अपना अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया था।

इस विवरण को नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करायेगें। नियुक्ति प्राधिकारी / विभागाध्यक्ष द्वारा अपने विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु नोडल अधिकारी तो नियुक्त कर दिये गये हैं, किन्तु नोडल अधिकारियों द्वारा वर्ष 2015 (01.01.2016) की अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड नहीं किये जा रहे हैं।

कृपया नोडल अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे आपके विभाग से संबंधित अचल सम्पति विवरण कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करावें।

भवदीय,

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव